न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिंह, R.A.S.

प्रकरण : प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या– 71/2023

1. सनवर पुत्र रोशन खां जाति मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. पीर खां पुत्र बोदू खां जाति मुसलमान निवासी मौजमबाद तहसील मौजनाबाद जिला जयपुर राज0।
2. जमीला पत्नी मो0 सिराज जाति मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील मौजनाबाद जिला जयपुर राज0।
3. इमानुद्दीन पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील मौजनाबाद जिला जयपुर राज0।
4. नाफिया पुत्री अलादीन जाति मुसलनान निवासी मौजनाबाद तहसील मौजनाबाद जिला जयपुर राज0।
5. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्रः– अर्न्तगत धारा 128 आर.एल.आर. एक्ट पत्थरगढी करने बाबत्।

उपस्थित : 1. श्री उदयसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. विपक्षी सं 1 से 3, 5 अनुपस्थित ।
3. विपक्षी संख्या 04 की और से श्री सुरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

: : <u>आदेश</u> : :

दिनांक :– 10/6/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वानित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां मौजा गांव मौजमाबाद तहसील मौजनाबाद मे निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है खाता सं. 174 की आराजी ख0न0 9123/6360 रकबा 1.0 है0 प्रार्थी खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के लगवा विपक्षी सं 1 से 4 की कृषि भूमियां स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है विपक्षी सं. 1 की आराजीयात खाता सं0 817 के आराजी ख0न0 6361 रकबा 1.6300 है0 एवं विपक्षी सं0 2 की आराजीयात खाता सं. 613 के आराजी ख0न0 6360 रकबा 2.2700 है0, विपक्षी संख्या 03 व 04 की आराजीयात खाता संख्या 1103 के आराजी ख0न0 9122/6360 रकबा 1.2700 है0 स्थित है। प्रार्थी के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये विवाद होते रहते हैं। तहसीलदार मौजमाबाद के आदेश कमांक एल आर/2022/1604–06 दिनांक 13.04.2022 की पालना में उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान किया जा चुका है, बावजूद इसके पडौसी खातेदार काश्तकार उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है एवं विपक्षीगण अपनी सीमाओं से अधिक

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

बढ़कर प्रार्थी की आराजी की सीमाओं में घुसकर मेड़ तोड़कर कब्जा करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र पेश कर पत्थरगढ़ी की दाद मांगी गई है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी 1 से 3 व 5 बाद तामिल सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । विपक्षी संख्या 4 की ओर से श्री सुरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता ने वकालात पत्र मय जवाब प्रा0पत्र0 पेश किया कि वाद–पत्र में वर्णित सीमाज्ञान की कार्यवाही विवादित है तथा हिस्सा भी विवादित है, जब सीमाज्ञानकी कार्यवाही ही विवादित है तो प्रार्थी भू राजस्व अधिनियम के धारा 111 व 112 की पालना नही की गई है। विवादित सीमाज्ञान जब प्रारम्भ से ही प्रार्थी मानता है तो उस हेतु सीमा व मौके की फील्ड बुक बनवाई जानी चाहिये, चूंकि इस प्रकरण में ये उक्त आज्ञापक प्रावधानो की पालना नही की गई है, अतएव इसी विधिक त्रुटि के कारण प्रार्थी का प्रा0पत्र निरस्तनीय है। विधिक प्रावधानों के मुताबिक तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही संस्थित नही की जानी चाहिये थी अपितु भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के तहत भूधारक के आदेश द्वारा ही दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही अपेक्षित कार्यवाही संस्थित की जानी चाहिए थी। प्रार्थी ने प्रा0पत्र0 में विधि की अहम भूल कर दी है अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की आराजीयात के सम्बन्ध में विपक्षीगण मेर लिय को आये दिन विवाद करते रहते है।अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढ़ी आदेश प्रदान करे। विपक्षी संख्या 04 के अधिवक्ता ने वादग्रस्त आराजीयात का सीमाज्ञान विधि के प्रावधानों के मुताबिक नहीं होने प्रा0पत्र0 को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व गांव मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद में निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है खाता सं. 174 की आराजी ख0न0 9123 / 6360 रकबा 1.0 है0 में प्रार्थी खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के लगता विपक्षी सं 1 से 4 की कृषि भूमियां स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है विपक्षी सं. 1 की आराजीयात खाता सं0 817 के आराजी ख0न0 6361 रकबा 1.6300 है0 एवं विपक्षी सं0 2 की आराजीयात खाता सं. 613 के आराजी ख0न0 6360 रकबा 2.2700 है0 व विपक्षी संख्या 03 व 04 की आराजीयात खाता संख्या 1103 के आराजी ख0न0 9122 / 6360 रकबा 1.2700 है0 स्थित होकर दर्ज खातेदार है। प्रार्थी आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमियो की पत्थरगढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा पूर्व में भी इस मेर सिंह के विवाद के कारण सीमाज्ञान करवाया गया है, उक्त सीमाज्ञान के बावजूद प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 4 की आराजी के मध्य सीमा को लेकर विवाद के कारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी का प्रा0पत्र पेश किया।

अतः भविष्य में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 4 के मध्य कानून पेचीदगीयां न बढ़ें व पक्षकारों की आराजीयात की सीमाओं का सही निर्धारण हो इस वास्ते प्रार्थी अपनी आराजीयात में पत्थरगढ़ी कराने की अधिकारी साबित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं आदेश सुनाया जाता है:-

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व गांव मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2075-2076 के खाता सं. 174 के आराजी ख0न0 9123/6360 रकबा 1.0000 है0 प्रार्थी की खातेदारी एवं राजस्व गांव मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2075-76 में निम्नानुसार दर्ज खातेदारों की आराजीयात खाता संख्या 871 के आराजी ख0न0 6361 रकबा 1.6300 है0 में विपक्षी सं. 1 एवं खाता संख्या 613 के आराजी ख0न0 6360 रकबा 2.2700 में विपक्षी सं 2 एवं खाता संख्या 1103 के आराजी ख0न0 9122/6360 रकबा 1.2700 है0 में विपक्षी संख्या 03 की आराजीयात मध्य पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में आवश्यकता होने पर जरिये पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाकर पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमिश्नर फीस प्रार्थी से नियमानुसार प्राप्त करें। तहसीलदार मौजमाबाद को तहरीर जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)